न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 12/2018
दायर दिनांकः 06.06.2018
निर्णय दिनांक 08.09.2025

—: अनवान :—

किशनसिंह पिता रूपसिंह जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी धर्मेशपुरी भीम, तहसील भीम जिला राजसमंद **— प्रार्थी/निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत भीम, जरिये सरपंच/सचिव, तहसील भीम जिला राजसमंद
2. डाउसिंह पिता धीसासिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी धर्मेशपुरी भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द राजस्थान

— गैर निगराकारगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पट्टा संख्या 57 दिनांक 01.06.2017 से व्यथित होकर

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
3— श्यामसुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

:: निर्णय ::

निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97, पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत निगरानी पट्टा विलेख संख्या 57 दिनांक 01.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगराकार का मकान ग्राम भीम ग्राम पंचायत भीम के आराजी संख्या 2318 में निर्मित हैं जिस पर निगराकार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा विधानसभा राजस्थान सरकार जयपुर में अतारकीक प्रश्न संख्या 90 के संदर्भ में दिनांक 01.01.2009 के पत्र के परिपेक्ष्य में भेजी गई सूचना में ग्राम पंचायत भीम में बिलानाम जमीन पर प्रार्थी का आराजी संख्या 2318 पर कब्जा आधिपत्य होकर मकान निर्मित होने की सूचना की सूची में क्रम संख्या 204 पर दो बिस्वा भूमि पर मकान बना होना अंकित किया गया है। उक्त आराजी संख्या 2318 में बने हुऐ प्रार्थी के मकान के पडौस रणजीतसिंह का मकान उत्तर दिशा में, दक्षिण में लक्ष्मणलाल

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

का मकान, पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम मोहनलाल का मकान स्थित है। उक्त पडौसो के मध्य का मकान निगराकार का बना हुआ है जिसके संबध में पट्टा विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में खसरा संख्या 16637/2317 बताते हुऐ उक्त पट्टा जारी कर दिया गया। जबकि उक्त आराजी नम्बर आबादी भूमि ही नहीं है तथा पट्टे में वर्णित पडौसो की भूमि पर विपक्षी संख्या दो का कोई मकान ही बना हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में जारी किया गया पट्टा दिनांक 01.06.2017 अवैद्य है क्षैत्राधिकार से परे है जिसे निम्न आधारो पर निरस्त किया जाना आवश्यक है ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा आधारहीन होकर विधि विरूद्ध है। पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियमो की पालना नहीं की गई है। उक्त पट्टा नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया गया है। आबादी भूमि में पुराने बने हुऐ मकान के पट्टे जारी किये जाते है जबकि मौके पर उक्त पडौसो के मध्य कोई मकान ही विपक्षी संख्या दो का बना हुआ नहीं है। यहाँ तक कि उक्त पडौसो के मध्य दो मकान बने होना सम्भव ही नहीं है क्योंकि इसी दिनांक को विपक्षी संख्या दो के नाम पर जारी किये इस पट्टे के पडौसो के मध्य स्थित इसी मकान के नाप का पट्टा विपक्षी संख्या दो की पत्नि नोजीदेवी पत्नि डाउसिंह के नाम पर पट्टा संख्या 56 जारी किया गया है। यानि कि मौके पर इन पडौसो के मध्य दो मकान होना सम्भव ही नहीं है। डाउसिंह व उसकी पत्नि के नाम पर इन्हीं पडौसो के मध्य इसी साईज के भुखण्ड का पट्टा जारी किया गया है तथा दोनों पट्टो में आराजी संख्या 16637/2317 उल्लेख किया गया है जो उक्त पडौसो के मध्य स्थित मकान का खसरा ही नहीं है। उक्त पडौसो के मध्य स्थित मकान को प्रार्थी का है जो आराजी संख्या 2318 में स्थित है जिसकी सूची वर्ष 2009 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा श्रीमान् जिला कलकटर राजसमंद को प्रेषित की गई और इस आराजी संख्या 2318 में बने हुऐ मकानो को नियमित करने के उद्येश्य से उक्त भूमि आबादी हेतु आरक्षित करने हेतु/आवंटित करने हेतु दिनांक 28.12.2017 को पत्रावली संख्या 59/2017 के जरिये प्रस्ताव बना कर उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमंद को प्रेषित किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त जारी किया गया पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा क्षैत्राधिकार से परे जाकर जारी किया गया है। पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि को आबादी भूमि बता दिया गया है जबकि वास्तविकता में यह भूमि आबादी भूमि नही है। आराजी संख्या 2318 आबादी के लिए प्रस्तावित ही दिनांक 28.12.2017 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई है। आज भी उक्त भूमि गैर मुमकिन मंगरी दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के मकान की भूमि का पट्टा विपक्षी संख्या दो के नाम पर गलत आराजी नम्बर दर्शाते हुऐ ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार है। अन्य भूमियो में पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जो उक्त पट्टा जारी किया गया है उसमें नियमो की कोई पालना नहीं की गई है किसी प्रकार की आपत्ति का आव्हान नही किया गया है न ही पर्चा मौका बनाया गया है। ऐसी स्थिति में नियमो की पालना किये बगैर ही उक्त पट्टा जारी किया गया है जो विधि के विपरित है। पट्टे की कार्यवाही में मौके पर स्थल निरीक्षण ही नहीं किया गया है तथा आबादी की गलत रिपोर्ट पटवारी हल्का से करा कर उक्त पट्टा जारी करवा दिया गया जो निरस्त होने योग्य है। उक्त जारी पट्टे का पंजियन दिनांक 19.07.2017 को करवाया गया है उसी दिनांक को विपक्षी संख्या दो ने अपनी पत्नि के नाम पर इन्हीं पडौसो के मध्य इसी साईज के भुखण्ड का पट्टा जारी करवा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

दिया है और पंजियन करवा दिया है। इस प्रकार एक ही भूमि के एक ही नाप के एक ही पडौस के दो पट्टे एक ही दिन में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये है। अतः निवेदन हैं कि निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी किया गया विपक्षी संख्या दो के पक्ष में पट्टा दिनांक 01/06/2017 को निरस्त फरमाया जावे तथा निगराकार की सम्पत्ति को हडपने के लिये अपने नाम पर विपक्षी संख्या 1 से मिलीभगत करके यह फर्जी पट्टा जारी करवाया गया है, उसके सम्बन्ध में आपराधिक प्रकरण भी विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध दर्ज करवाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना के लगातार पेशी पर अनुपरस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 25.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर पालीवाल उपस्थित हुए। तथा ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्‌टा पत्रावली तलब की गयी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगराकार का मकान ग्राम भीम ग्राम पंचायत भीम के आराजी संख्या 2318 में निर्मित हैं जिस पर निगराकार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा विधानसभा राजस्थान सरकार जयपुर में अतारकीक प्रश्न संख्या 90 के संदर्भ में दिनांक 01.01.2009 के पत्र के परिपेक्ष्य में भेजी गई सूचना में ग्राम पंचायत भीम में बिलानाम जमीन पर प्रार्थी का आराजी संख्या 2318 पर कब्जा आधिपत्य होकर मकान निर्मित होने की सूचना की सूची में क्रम संख्या 204 पर दो बिस्वा भूमि पर मकान बना होना अंकित किया गया है। उक्त आराजी संख्या 2318 में बने हुऐ प्रार्थी के मकान के पडौस रणजीतसंह का मकान उत्तर दिशा में, दक्षिण में लक्ष्मणलाल का मकान, पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम मोहनलाल का मकान स्थित है। उक्त पडौसो के मध्य का मकान निगराकार का बना हुआ है जिसके संबध में पट्टा विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में खसरा संख्या 16637/2317 बताते हुऐ उक्त पट्टा जारी कर दिया गया जबकि उक्त आराजी नम्बर आबादी भूमि ही नहीं है तथा पट्टे में वर्णित पडौसो की भूमि पर विपक्षी संख्या दो का कोई मकान ही बना हुआ नहीं है ऐसी स्थिति में जारी किया गया पट्टा दिनांक 01.06.2017 अवैद्य है, क्षैत्राधिकार से परे है ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियमो की पालना नहीं की गई है। उक्त पट्टा नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया गया है। आबादी भूमि में पुराने बने हुऐ मकान के पट्टे जारी किये जाते है जबकि मौके पर उक्त पडौसो के मध्य कोई मकान ही विपक्षी संख्या दो का बना हुआ नहीं है। यहाँ तक कि उक्त पडौसो के मध्य दो मकान बने होना सम्भव ही नहीं है क्योंकि इसी दिनांक को विपक्षी संख्या दो के नाम पर जारी किये इस पट्टे के पडौसो के मध्य स्थित इसी मकान के नाप का पट्टा विपक्षी संख्या दो की पत्नि नोजीदेवी पत्नि डाउसिंह के नाम पर पट्टा संख्या 56 जारी किया गया है। यानि कि मौके पर इन पडौसो के मध्य दो मकान होना सम्भव ही नहीं है। डाउसिंह व उसकी पत्नि के नाम पर इन्हीं पडौसो के मध्य इसी साईज के भुखण्ड का पट्टा जारी किया गया

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

है तथा दोनों पट्टो में आराजी संख्या 16637/2317 उल्लेख किया गया है जो उक्त पडौसो के मध्य स्थित मकान का खसरा ही नहीं है। उक्त पडौसो के मध्य स्थित मकान को प्रार्थी का है जो आराजी संख्या 2318 में स्थित है जिसकी सूची वर्ष 2009 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा श्रीमान् जिला कलकटर राजसमंद को प्रेषित की गई और इस आराजी संख्या 2318 में बने हुऐ मकानो को नियमित करने के उद्येश्य से उक्त भूमि आबादी हेतु आरक्षित करने हेतु/आवंटित करने हेतु दिनांक 28.12.2017 को पत्रावली संख्या 59/2017 के जरिये प्रस्ताव बना कर उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमंद को प्रेषित किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त जारी किया गया पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा क्षैत्राधिकार से परे जाकर जारी किया गया है। पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि को आबादी भूमि बता दिया गया है जबकि वास्तविकता में यह भी आबादी भूमि नही है। आराजी संख्या 2318 आबादी के लिए प्रस्तावित ही दिनांक 28.12.2017 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई है। आज भी उक्त भूमि गैर मुमकिन मंगरी दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के मकान की भूमि का पट्टा विपक्षी संख्या दो के नाम पर गलत आराजी नम्बर दर्शाते हुऐ ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। पट्टे की कार्यवाही में मौके पर स्थल निरीक्षण ही नहीं किया गया है तथा आबादी की गलत रिपोर्ट पटवारी हल्का से करा कर उक्त पट्टा जारी करवा दिया गया जो निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन हैं कि निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी किया गया विपक्षी संख्या दो के पक्ष में पट्टा दिनांक 01/06/2017 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि निगराकार द्वारा इस आधार निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई कि वहां पर प्रार्थी का मकान है तथा प्रार्थी एव गैर निगराकार के मध्य सिविल न्यायालय में सिविल वाद मु.नं. 32/2018 डाउसिंह बनाम रणजीत सिंह विचाराधीन है तथा सिविल न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते निगराकार का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है तथा ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए पट्टा जारी किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को खारिज फरमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त स्थल के संबंध में मौका स्थिति/कमिश्नर की रिपोर्ट जो पटवार मण्डल भीम द्वारा प्रस्तुत की गयी है। इस रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूखण्ड आराजी संख्या 2318 में स्थित है। न कि आराजी संख्या 2317 में तथा आराजी संख्या 2318 जिसका रकबा 1.0117 हैक्टेर है जो कि गैर मुमकीन मगरी है तथा राजस्व रेकार्ड अनुसार बिलानाम खाता संख्या 1 में दर्ज है। अतः वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा आराजी संख्या 2317 का मानते हुए दिया है जबकि यह वादग्रस्त स्थल आराजी संख्या 2318 में स्थित है। आराजी संख्या 2318 राजकीय भूमि जो कि ग्राम पंचायत भीम को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102(अ) के तहत सुपुर्द नहीं की गयी है। अतः ग्राम पंचायत को विवादित भूखण्ड का पट्टा देने का क्षैत्राधिकार नहीं है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर हुआ कि आपत्ति आव्हान पत्र पर कोई दिनांक अंकित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नहीं है तथा भूमि किस आराजी में स्थित है इस संबंध में कोई भी रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त नहीं की गयी है। आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह का जो निरीक्षण प्रपत्र है उस पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है, नजरी नक्शे पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है तथा शपथ पत्र व सत्यापन पर भी किसी प्रकार के दिनांक का अंकन नहीं होना पाया गया है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अदिनांकित है। आवेदन पत्र जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उस पर भी कोई दिनांक नहीं है तथा आज्ञाओ की सूची में दिनांक 01.06.2017 अंकित है। जिस दिनांक को पट्टा जारी किया गया है। इसके अलावा प्रथम कार्यवाही की दिनांक 20.04.2017 अंकित है। उसकी अगली कार्यवाही की कोई दिनांक अंकित नहीं है।

अतः इन सभी तथ्यो के विवेचन यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने का ग्राम पंचायत भीम को कोई अधिकार नहीं था तथा ग्राम पंचायत भीम द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है उसमें विधिक प्रक्रिया की पालना भी नहीं की गयी है। और पत्रावली बाद में तैयार की जाकर पट्टा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 57 दिनांक 01.06.2017 जो कि अप्रार्थी संख्या 2 डाउसिंह पिता घीसासिंह के पक्ष में जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाता है। वर्तमान में ग्राम पंचायत भीम, नगरपालिका भीम में क्रमोन्नत होने से निर्णय की प्रति मय ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली नगरपालिका भीम को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)